कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 02.07.2026

साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर द्वारा रोडवेज बसों में जहरखुरानी कर यात्रियों को निशाना बनाने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन व 01 लाख 25 हजार रुपये नकद बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक-29.04.2026 को वादी कुलदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम व पोस्ट जमरावां थाना-हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर द्वारा तथा दिनांक 05.06.2026 को वादी विवेक कुमार पुत्र स्व0 रामशिरोमणि निवासी ताम्बेश्वर नगर, जनपद फतेहपुर द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रोडवेज बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को निशाना बनाते हुए नशीला/जहरीला पदार्थ सुंघाकर उनके मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिये गये। तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा चोरी किये गये एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन एवं यूपीआई का दुरुपयोग करते हुए वादियों के बैंक खातों से एटीएम व यूपीआई के माध्यम से क्रमशः 98,500/- रुपये एवं 1,44,000/- रुपये की धनराशि अवैध रूप से विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित/आहरित कर ली गयी। उक्त प्रकरण के संबंध में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर क्रमशः मु0अ0सं0 11/2026 एवं मु0अ0सं0 13/2026 धारा 305, 311, 318(2), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक अपराध के कुशल नेतृत्व में, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 11/2026 धारा 305, 311, 318(2), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 13/2026 धारा 305, 311, 318(2), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट बनाम अज्ञात की विवेचनात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में साइबर क्राइम थाना एवं क्राइम डिटेक्शन टीम द्वारा संकलित अभिलेखीय/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए, साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के एक सक्रिय अभियुक्त हर्षित कुमार जोशी पुत्र श्री दादाराम जोशी निवासी मोहल्ला मिश्राना, थाना पिहानी, जनपद हरदोई को दिनांक 01.07.2026 को समय 23:45 बजे ज्वालागंज बस स्टैंड, फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त/संबंधित 02 मोबाइल फोन एवं 01 लाख 25 हजार रुपये नकद बरामद करा आज दिनाँक 02.07.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त हर्षित कुमार जोशी द्वारा बताया गया कि उसके पिता रोडवेज बसों में यात्रा कर रहे ऐसे सीधे-साधे यात्रियों को चिन्हित करते थे, जो अकेले लंबी दूरी की यात्रा कर रहे होते थे तथा जिनके पास मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड व अन्य कीमती सामान होता था। यात्रियों से बातचीत कर विश्वास में लेने के उपरांत अवसर पाकर उन्हें नशीला/जहरीला पदार्थ सुंघाकर अचेत कर दिया जाता था तथा उनका मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य सामान चोरी कर लिया जाता था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके पिता चोरी किए गए मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड एवं आधार कार्ड उसे उपलब्ध कराते थे, जिसके बाद वह विभिन्न जनपदों जैसे फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर एवं लखनऊ जाकर बैंक कस्टमर केयर से संपर्क कर एटीएम कार्ड धारकों की जानकारी के आधार पर एटीएम का पिन रीसेट कराता था। इसके उपरांत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से नया पिन जनरेट कर एटीएम बूथ से धनराशि निकाल लेता था। एटीएम की निर्धारित सीमा पूर्ण हो जाने पर वह मॉल/दुकानों पर खरीदारी करता था तथा चोरी किए गए मोबाइल फोन में यूपीआई आईडी संचालित कर पीड़ितों के खातों से धनराशि स्थानांतरित/आहरित कर लेता था अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह काफी समय से अपने पिता के साथ मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था तथा विभिन्न राज्यों में रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त हर्षित कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करते हुए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. हर्षित कुमार जोशी पुत्र श्री दादाराम जोशी निवासी मोहल्ला मिश्राना, पिहानी थाना पिहानी जनपद हरदोई उम्र लगभाग 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 लाख 25 हजार रुपये नकद।
2. 02 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी/ तकनीकी जाँच करने वाली टीम -

*** टीम A (साइबर क्राइम थाना)***

1. निरीक्षक श्री मोहम्मद कमर खान, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना फतेहपुर।
2. हे0का0 सुमेश कुमार, साइबर क्राइम थाना फतेहपुर।
3. हे0का0 अखिलेश कुमार उपाध्याय, साइबर क्राइम थाना फतेहपुर।
4. का0 अजय कुमार, साइबर क्राइम थाना फतेहपुर।

*** टीम B (क्राइम डिटेक्शन टीम)***

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार यादव, प्रभारी क्राइम डिटेक्शन टीम फतेहपुर।
2. हे0का0 अनिल कुमार सिंह,
3. हे0का0 मनोज कुमार
4. का0 अमन
5. का0 राहुल
6. का0 प्रमोद